राजस्थान सरकार
पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

थाना शिवदासपुरा ईलाके में मिली लाश का राज खुला एक गिरफ्तार

जयपुर 05 जनवरी। उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) श्री योगेश दाधीचने बताया कि दिनांक 02.01.2018 को प्रातः थाना शिवदासपुरा ईलाके मे बीलवा रेल्वे फाटक के पास सूने स्थान पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। लाश के गले के चारो तरफ निशान थे। लाश की जैकेट के उपरी जेब मे एक पर्ची मिली जिस पर 3 मोबाईल नम्बर व एक व्यक्ति का नाम सुनील उर्फ भूपसिंह कातिल के रूप मे लिखा था। चूँकि प्रकरण गंभीर किस्म का था। अतः मामले की गंभीरता को देखते हुये अति0 पुलिस उपायुक्त जयपुर (दक्षिण) श्री मनोज चौधरी,सहायक पुलिस आयुक्त चाकसू श्री वीर सिंह व थानाधिकारी शिवदासपुरा श्री दीपक खण्डेलवाल को वारदात का पर्दाफाश करने के निर्देश दिये गये।

मौके पर एफ0एस0एल टीम बुलाई गई तथा मौके पर मिले मोबाईल नम्बरो के आधार पर मृतक की पत्नि को मौके पर बुलाया गया तो उसके द्वारा लाश की पहचान अपने पति राकेश शर्मा, निवासी मानसरोवर, हाल निवासी रावी अपार्टमेन्ट, प्रताप नगर, सांगानेर जयपुर के रूप मे की गई। एफ0एस0एल टीम व अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके का गहनता व बारीकी से निरीक्षण किया गया ।

मौके पर उपस्थित मृतक की पत्नि ने बताया कि उसका पति शराब पीने का आदि था तथा पिछले 5–6 दिन से घर से गायब था। जांच के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि मृतक की पत्नी एक और प्लाट गोदावरी अपार्टमेन्ट मे भी है जो कि बन्द था जिसे खोला गया तथा फ्लेट का एफएसएल टीम से बारीकी से निरीक्षण कराया गया तो फ्लेट के कमरे के पंखे ,रसोई मे रखे चाकू व जमीन पर धागे के रेस्से मिले जिससे यह सम्भावना हुई कि मृतक ने आत्महत्या की है। मृतक के भाई रजनीश शर्मा द्वारा अस्वाभाविक मृत्यु की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया तो उसमे भी मृत्यु हैगिंग से होना पाया गया ।

मृतक की पत्नि से विस्तृत पुछताछ की गई तो पहले तो उसने यह बताया कि राकेश 4–5 दिन से गायब है परन्तु बाद मे उसने स्वीकार किया कि उसके सुनील उर्फ भूपसिंह से पिछले एक–डेढ साल से सबंध थे तथा सुनील उर्फ भूपसिंह शराब पीकर मारता पिटता था। राकेश कुछ नही करता था। शराब पीकर इधर उधर घुमता रहता था। पिछले 20–25 दिन से हमने राकेश को गोदावरी अपार्टमेन्ट स्थित फ्लेट मे बन्द कर रखा था। क्योंकि वह शराब पीकर ईधर उधर चला जाता था। दिनांक 31.12.2017 को सुनील उर्फ भूपसिंह ने राकेश को सबके सामने थप्पड मारा था उसी रात को करीब 9–10 बजे मैने व सुनील ने गोदावरी अपार्टमेन्ट स्थित फ्लेट को चैक किया तो राकेश पखें से झुल रहा था। उसने एक चादर को फाड कर फन्दा लगा लिया था मैने व सुनील ने चाकू से फन्दा काटकर राकेश को नीचे उतारा तो वह मर चुका था। हम दोनो घबरा गये व लाश को वही बेड पर सुलाकर वापिस रावी अपार्टमेन्ट आ गये उस रात हमने कोई गाडी का इन्तजाम करने की काफी कोशिश की ताकि राकेश की लाश को ठिकाने लगा सके। लेकिन उस रात को हमे कोई गाडी नही मिली दिनांक 1.1.2018 को मै ,मेरे पुत्र को लेकर अपने पति को ढुंढने के बहाने आमेर चली गई व वापीस आ गई फिर मै व सुनील मेरी स्कूटी से आस पास का सूना ईलाका देखने निकले। हमे बीलवा रेल्वे फाटक के पास एक सुनसान जगह दिखाई दी जो कि हमे सही

लगी दिनांक 1.1.2018 को दोपहर को मेरे पास एक ग्राहक का फोन आया, जिसके पास कार थी हमने एक योजना के मुताबिक उसे बहाने से कार लेकर बुलाया व मेरे रावी अपार्टमेन्ट स्थित फ्लेट मे बैठा दिया व उसे कहा कि हम लडकी लेकर अभी आते है। मै व सुनील तुरन्त हमारे गोदावरी अपार्टमेन्ट स्थित फलेट पर आये व लाश को कबंल मे लपेटकर गाडी की पिछली सीट पर डाल दिया व लाश को हम दोनो लेकर बीलवा फाटक के पास सुनसान जगह पहुंचे व लाश को वहा पर डालकर तुरन्त घर आ गये तथा ग्राहक की कार उसको वापस दे दी। सुनील तुरन्त घर से निकल गया। मृतक की पत्नि की निशादेही से चादर का टुकडा बरामद किया गया जिसे राकेश ने फांसी लगाई थी ।

जांच के पश्चात थानाधिकारी, पुलिस थाना, शिवदासपुरा की तरफ से आत्महत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज कराया गया व फरार अभियुक्त सुनील उर्फ भूपसिंह की तलाश हेतु श्री रामविलास हैड कानि0 , रामगोपाल कानि0 ,सुरेश कानि0 ,हुकम सिंह कानि0 , दयाराम कानि0 की टीम को सीकर, प्रताप नगर ,सिंधी कैम्प आदि स्थानो पर रवाना किया गया तथा तकनीकी सहायता से सुनील उर्फ भूप सिंह की तलाश की गई। अभियुक्त दो साल से अपने गांव नही गया था। जिसकी हर संभावित स्थानो पर तलाश की गई। अभियुक्त सुनील उर्फ भूप सिंह को दिनांक 5.1.2018 को सिंधी कैम्प बस स्टेन्ड से गिरफतार किया गया। जिससे तप्तीश की गई तो बताया कि मै पिछले 2 साल से गांव नही गया हूं तथा करीब डेढ साल से राकेश की पत्नि के साथ ही रह रहा था। जिससे मेरे सबंध थे तथा उसके द्वारा की जा रही अनैतिक गतिविधियो मे भी संलिप्त हो गया । अभियुक्त सुनील ने भी यह स्वीकार किया कि वह तथा मृतक की पत्नी दोनों ही मृतक राकेश की लाश को सुनसान जगह पर छोडकर आये थे जो हमने पुलिस से घबराहट मे किया था।

मृतक राकेश की आत्महत्या के दुष्प्रेरण व साक्ष्य को छुपाने के अपराध मे मृतक की पत्नि को दिनांक 3.1.2018 को गिरफ्तार किया गया जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है तथा उसके साथी सुनील उर्फ भूपसिंह को दिनांक 5.1.2018 को गिरफतार किया गया है। जिससे अनुसंधान किया जा रहा है।

फोटो सुनील उर्फ भूपसिंह